अनुबंध 71 A

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या–1092/79-वि-1–13-07-96
लखनऊ, 09 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना संख्या 1092/79-वि-1–2013-7-96, दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 के प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद

2–निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

3–समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन

4–प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश

5–कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ

6–वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2

7–वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–1/2

8–वित्त (व्यय नियंन्त्रण) अनुभाग–12

9–न्याय (बजट) अनुभाग–1

10–निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

क्रम-संख्या-270(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 09 अक्टूबर, 2013

आश्विन 17, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1092/79-वि-1-13-7-96
लखनऊ, 09 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-62

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 720/सात-पॉच-1-03-22-96, दिनांक 04 जुलाई, 2003 और संख्या 203/उन्यासी-पॉच-1-2007-15-92, दिनांक 07 फरवरी, 2007 के साथ क्रमशः प्रकाशित उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग सहायक विधि प्रारूपकार (हिन्दी) भर्ती नियमावली, 2003 और उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग विधीक्षण अधिकारी भर्ती नियमावली, 2007 और इस विषय पर किसी अन्य नियमों या आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 2013

भाग-एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा में समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समावष्ट है।

परिभाषाएं

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ग) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है;

(ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथा-संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्टि नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा से है;

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो
संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायं:

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जांय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है;

पदों का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1–विधीक्षण अधिकारी	–	02	02
2–सहायक विधि प्रारूपकार	01	–	01

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद यको बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा:

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग–तीन
भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

(एक) विधीक्षण अधिकारी – आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

(दो) सहायक विधि प्रारूपकार–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे विधीक्षण अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण की ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसरण में और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार
अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; ;या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1992 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायें।

शैक्षिक अर्हताए

8–सेवा* में विधीक्षण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कला स्नातक उपाधि (एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य या हिन्दी साहित्य के साथ) या विज्ञान स्नातक उपाधि या वाणिज्य स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय विधि स्नातक उपाधि

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पाँच वर्षीय विधि स्नातक की उपाधि।

अधिमानी अर्हता

9–अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'ब' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो; या

(तीन) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि मे स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो।

आयु

10–सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियों विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा किये जाने वाले परीक्षण को उत्तीर्ण कर लें:

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पाँच
भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारण

14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्ति की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों उसको सूचित की जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15–(1) चयन के विचारार्थ आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमन्त्रित करेगा, जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, जैसा वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैया करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो अभ्यर्थियों के नामों को आयोग की सामान्य नीति के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा। आयोग, नियुक्त प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16–(1) सहायक विधि प्रारूपकार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयेाग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसरण में गठित चयन समिति के माध्यम से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयेाग केक क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17–(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो; नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसी, यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसा कि उस संवग्र में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

परिवीक्षा

18–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय;

परन्तु यह कि, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हो, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थयी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम–5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

20–सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात
वेतन इत्यादि

वेतनमान

21–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है–

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रुपया)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रुपया)
1–विधिक्षण अधिकारी	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
2–सहायक विधि प्रारूपकार	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो ओर द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि, यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डा मेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24–ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

25–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक ओर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वही मामले में न्याय संगत और सामयपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकीत है:

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम के अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

26–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1092(i)/LXXIX-Vi-1-2013-7-96, dated October 9, 2013:

No. 1092(i)/LXXIX-Vi-1-2013-7-96

Dated Lucknow, October 9, 2013

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department Assistant Legal Draftsman (Hindi) Recruitment Rules, 2003 and the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department Vidhikshan Adhikari Recruitment Rules, 2007 published with Government Notification no. 720/VII-V-1-03-22-96, dated July 4, 2013 and no. 203/LXXIX-V-1-2007–15-92, dated February 7, 2007 respectively and any other rules or orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department Officers Service.

THE UTTAR PRADESH SECRETRIAT LEGISLATIVE DEPARTMENT OFFICERS SERVICE RULES, 2013

PART—I

GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department Officers Service Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. In the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department Officers Service is a service comprising of Group 'A' and Group 'B' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authority' means the Governor;

(c) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(h) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(i) 'Service' means the Uttar Pradesh Secretariat Legislative Department Officers Service;

(j) 'substantive appointment' means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after a selelction in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Goverment;

(k) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART–II

CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:

	Number of posts		
Name of post	Permanent	Temporary	Total
1. Vetting Officer	—	02	02
2. Assistant Legal Draftsman	01	—	01

Provided that:–

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper.

PART—III

RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of post in the service shall be made from the following sources:

(1) Vetting Officer–By direct recruitment through the Commission,

(2) Assistant Legal Draftsman–By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Vetting Officers who have completed six years service as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART–IV

QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate of direct recruitment to a post in the service must be:

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Counties of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Inteligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE–A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post of Vetting Officer in the service must possess the following qualifications:

Bachelor of Arts degree (with English Literature or Hindi Literature as one of the subjects) or Bachelor of Science degree or Bachelor of Commerce degree with a minimum fifty percent marks from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto, and, three years Bachelor of Laws degree with a minimum fifty percent marks from a University established by law in India;

or

Five years Bachelor of Laws degree with a minimum fifty percent marks from a University establihsed by a law in India.

Preferential qualification

9. A candidate who:

(i) has served in the Territorial Army for a minimum period of two years,

or

(ii) has obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, or

(iii) possesses Post-graduate degree in Law from a University established by law in India, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE–Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART–V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment

15. (1) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed Form published in the advertisement issued by the Commission.

(2) The Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications, as they consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidate in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the names of the candidates shall be arranged in accordance with the general policy of the Commission. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Procedure for recruitment by promotion

16. (1) Recruitment by promotion to the post of Assistant Legal Draftsman shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution or Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE—Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee alongwith therir character rolls and such other records, pertaining to them , as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and, if considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selectiion Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART—VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 16, as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

18. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

19 (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if—

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

20. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART—VII

PAY ETC.

Scale of Pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules given as follows:

Name of post	Scale of pay		
	Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay (Rs.)
1. Vetting Officer	Pay Band–3	15600–39100	5400
2. Assistant Legal Draftsman	Pay Band–3	15600–39100	6600

Pay during probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) Thy pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings

26. Nothing in these rules affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 477 राजपत्र (हि०)–2013–(1031)–599 प्रतियां–(कम्प्यू० / आफ०)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 86 सा० विधा०–2013–(1032)–500 प्रतियां–(कम्प्यू० / आफ०)।